

कार्यालय आदेश सं.- 792/2021


सिगनल एवं दूरसंचार विभाग के निम्नलिखित कर्मचारी का अंतर रेलवे पारस्परिक स्थानांतरण के प्रकरण पर दोनों मंडल का मंडलीय स्वीकृति प्राप्त है, में सोनपुर मंडल के कर्मचारी को विरमित किये जाने हेतु निदेशित किया जाता है।

क्रम सं.	अंतर रेलवे पारस्परिक स्थानांतरण पर दोनों कर्मचारियों का विवरण	पत्र सं. जिसके द्वारा सहमति प्राप्त की गई है।
1	श्री आदित्य प्रकाश/सीसेई/सिग. /गोरौल/सोनपुर मंडल का क्रम सं. 02 के कर्मचारी के साथ पारस्परिक स्थानांतरण।	का/283/0621/आईडीआईआर/स्थाना. /पारस्परि./सिग-5/सोन. दिनांक 13.07.2021
2	श्री प्रेम प्रकाश कुमार/सीसेई/सिग./मुम्बई मंडल का क्रम सं. 01 के कर्मचारी के साथ पारस्परिक स्थानांतरण।	मरेप्र/का/मुम्बई, पत्र सं.ई/सिग. /आईआरएमटी./2 भाग-III दिनांक-03.11.2020

उपरोक्त सोनपुर मंडल के कर्मचारी को विरमित किये जाने पर वमसिदूई/सोनपुर महोदय का आदेश प्राप्त है।

पारस्परिक स्थानांतरण निम्न शर्तों के अनुसार अनुमेय होगा।

1. उपरोक्त सोनपुर मंडल के कर्मचारियों को सत्यापित पहचान के साथ विरमित कर भेजें जिससे की संबंधित मंडल को विरमित किया जा सके।
2. विरमण के समय कर्मचारी डीएआर/एपीई/विज0 के सजा से मुक्त होना चाहिए।
3. नियमानुसार दोनों कर्मचारियों को किसी प्रकार का भत्ता तथा सीटीजी/पास/स्था0 अवकाश देय नहीं होगा।
4. नियमानुसार दोनों कर्मचारी पुराने मंडल में दोबारा स्थानांतरण नहीं लेंगे।
5. वरीयता पारस्परिक स्थानांतरण में नियमानुसार निर्धारित किया जायेगा।



(रवि कुमार पंडित)
सकाधि 11

कृते मंडल रेल प्रबंधक/कार्मिक
सोनपुर

दिनांक-18.11.2021

सं.का/283/06/1/आईडीआईआर/स्था/पारस्प./सिग-5/सोन.
प्रतिलिपि:-

1. वमसिदूई/सोनपुर महोदय को सादर सूचनार्थ।
2. समसिदूई/मुज0
3. सीसेई/सिगनल/मुजफ्फरपुर
4. संबंधित कर्मचारी, कार्यालय प्रति।
5. अभिलेख प्रति।
6. मंडल मंत्री, ईसीआरकेयू एवं अन्य संबंधित यूनियन।

कृते मंडल रेल प्रबंधक/कार्मिक